16/11/22 राज्य द्वारा कोई उप. नही।

आरोपी/आवेदकगण राजू उर्फ रज्जू एवं गुडडू सहित श्री संदीप जैन अधि. उपस्थित।

आवेदकगण की ओर से श्री संदीप जैन अधि. ने उपस्थित होकर माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बेगमगंज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश जिला रायसेन के न्यायालय के जा.क्र. 727/22 का बंद लिफाफा मय शपथ पत्र के पेश किया।

उक्त लिफाफे को खोले जाने पर उसमें प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बेगमगंज के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश जिला रायसेन के न्यायालय का अपील क्र. 44/22 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 15/11/22 की प्रतिलिपि प्राप्त।

माननीय अपील न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त आदेश का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार उक्त आरोपीगण की ओर से धारा 389 द.प्र.सं. का प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर उक्त अभियुक्तगण/आवेदकगण/अपीलार्थीगण द्वारा 25000/–25000/–रूपये की सक्षम प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि के स्वयं का बंधपत्र धारा 437 (3) द.प्र.सं. की शर्तो के अधीन विचारण न्यायालय की संतुष्ठि योग्य पेश किये जाने पर उक्त आरोपीगण पर अधिरोपित कारावास का दण्डादेश आगामी अन्य आदेश तक स्थगित किया गया है।

इसी स्तर पर आदेशानुसार उक्त अभियुक्तगण द्वारा स्वयं का 25000/–25000/– रूपये के बंध पत्र प्रस्तुत किये गये एवं जमानतदार वहादुर पिता नवाजी गौड उम्र 50 साल निवासी ग्राम गगनवाडा तहसील सिलवानी जिला रायसेन ने ऋण पुस्तिका क्र. एल आर आई 30073 पर अभियुक्तगण की रूपये 25000/–25000/– रूपये की जमानत पेश की

जमानतदार की पहचान श्री संदीप जैन अधि. द्वारा की गई जो बाद तस्दीक स्वीकार की गयी।

प्रस्तुत जमानत बाद तस्दीक स्वीकृत की गई। माननीय अपील न्यायालय के आगामी आदेश तक आरोपीगण को दी गई कारावासीय सजा स्थगित रहेगी, उक्त आरोपीगण नियत दिनांक 28/12/22 को माननीय अपील न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज किया जाकर शेष औपचारिकताये पूर्ण कर प्रकरण नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे।